

भाग - II

(संबन्धी उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

7-	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद टिहरी गढ़वाल के ब्लॉक जौनपुर में प्रस्तावित क्यारी सुरकन्डा विद्युत लाईन के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.60 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० नई टिहरी को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु 30 वर्षीय लीज पर प्रत्यावतन प्रस्ताव।
(i)	राज्य / संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	टिहरी गढ़वाल
(iii)	वन प्रभाग	मसूरी वन प्रभाग, मसूरी
(iv)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हेक्टेअर में)	0.60 हेक्टर
(v)	वन की कानूनी स्थिति	0.60 हेक्टर आरक्षित वन भूमि क्यारी क०स०-3 B व क्यारी कक्ष सं० - 4
(vi)	हरिवाली का घनत्व	0.30
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल., एफ.आर.एल.-2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित कार्य स्थल पर कोई वृक्ष प्रभावित होने निहित नहीं है।
(viii)	सूक्षण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	-
(ix)	वनेतर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित /चयनित स्थल आरक्षित वन क्यारी क०स०-3 B व क्यारी कक्ष सं० - 4 की सीमा अन्तर्गत है।
(x)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हां क्षेत्र का ब्योरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबध्दिति की जाए)	नहीं। इस बावत् प्रस्ताव के संलग्नक - 16 पर प्रमाण पत्र चस्पा किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती हैं।(यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्योरा दें।	— उक्तानुसार —
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा स्मृतिस्थान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबन्धी ब्योरा सक्षम प्राधिकरण से जनगति प्रमाणपत्र के साथ, यदि अपेक्षित हो दें।	— उक्तानुसार —


 ५०५६५०